मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–16–140/2012/2/34 भोपाल, दिनांक 02 AUG 2018

आदेश

शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2017 द्वारा निविदा पूर्व अर्हता (Pre-Qualification) की शर्तों का निर्धारण किया गया है। तकनीकी समिति की 14 वीं बैठक दिनांक 12 जून 2018 की अनुशंसाओं को मान्य करते हुये एतद् द्वारा उक्त आदेश में निम्नानुसार एक नवीन कंडिका (कंडिका–10) शामिल की जाती है :–

"कंडिका–10 : विभागीय तकनीकी समिति की अनुशंसा पर विशिष्ट प्रकार के कार्यों हेतु निविदा पूर्व अर्हता निर्धारित करने हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया जाता है।"

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

02/08/18
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ–16–140/2012/2/34 भोपाल, दिनांक 02 AUG 2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. परियोजना निदेशक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर /वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड मध्यप्रदेश।

02/08/18
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

PA-2017/781

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 16–140/2012/2/34 भोपाल, दिनांक 15 JUN 2017

– : : आदेश : : –

शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.01.2017 को प्रतिस्थापित करते हुये एतद् द्वारा निविदा पूर्व अर्हता (Pre-Qualification) की शर्तो का निर्धारण किया जाता है :–

1. भवन निर्माण, जिसकी लागत रूपये 2.00 करोड़ तक है, में निविदा पूर्व भौतिक अथवा वित्तीय अर्हता नहीं रखी जायेगी।

2. नलजल/मलजल योजनायें, जिनकी लागत रूपये 2.00 करोड़ तक है, में निविदा पूर्व वित्तीय अर्हता नहीं रखी जायेगी।

3. नलजल/मलजल योजनायें, जिनकी लागत रूपये 2.00 करोड़ तक है, में निविदा पूर्व भौतिक अर्हता केवल ऐसी निविदाओं में रखी जायेगी, जिनमें उच्च स्तरीय टंकी अथवा शोधन संयंत्र अथवा इंटेकवेल अथवा एनीकट के कार्य का समावेश हो। ऐसी अर्हता केवल इन्हीं आयटम के संबंध में रखी जायेगी।

4. नलजल/मलजल योजनायें, जिनकी लागत रूपये 2.00 करोड़ से अधिक है, में निविदा पूर्व वित्तीय अर्हता रखी जायेगी।

5. नलजल/मलजल योजनायें, जिनकी लागत रूपये 2.00 करोड़ से अधिक है, में निविदा पूर्व भौतिक अर्हता कंडिका 3 में उल्लेखित कार्यो के लिये रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त निविदा की आवश्यकतानुसार मुख्य अभियंता अन्य किसी कार्य हेतु निविदा पूर्व भौतिक अर्हता रख सकेंगे।

6. नलकूप खनन संबंधी कार्य, जिनकी लागत रूपये 2.00 करोड़ तक है, की निविदा में निविदा पूर्व वित्तीय अर्हता नहीं रखी जायेगी। ऐसे कार्यो की निविदा में निविदा पूर्व भौतिक अर्हता वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया अनुसार रखी जायेगी।

7. निविदा पूर्व अर्हता की जांच करते समय निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में यदि आवश्यक हो तो निविदाकार से या दस्तावेज जारी करने वाली अथॉरिटी (Authority) से स्पष्टीकरण (Clarification) अथवा पूरक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त किये जा सकेंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी नया दस्तावेज, जो निविदाकार ने निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, को पृथक से प्राप्त नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कोई विचार किया जाएगा।

8. अमानत राशि (E.M.D.) में किसी भी कमी के संबंध में निविदाकार से न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकेगा और न ही अमानत राशि में किसी भी कमी को दूर करने का अवसर दिया जाएगा।

9. विशेष परिस्थिति में बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 अथवा 4 में यदि छूट देने की आवश्यकता हो तो प्रमुख अभियंता कारण लिपिबद्ध करते हुए छूट दे सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश शिवहरे)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16–140/2012/2/34 भोपाल, दिनांक 15 JUN 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग/लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/लोक निर्माण विभाग, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित विध्यांचल भवन, म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग